

प्रपत्र-VII

झारखण्ड सरकार
स्माहरणालय, पूर्वी सिंहभूम
(भू-अर्जन शाखा)

या

समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 धारा 19 (1) के अधीन)

संख्या231.....

दिनांक 02 /05

/ 2016.

चँकि समाहर्ता, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को यह प्रतित है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ, यथा परियोजना कालिकापुर वितरणी के निर्माण हेतु ग्राम- दामुडीह, थाना- घाटशिला, थाना संख्या- 1515 अंचल- पोटका, जिला-पूर्वी सिंहभूम में कुल 1.935 एकड़ यानि 0.783 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है। इसलिए अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन, एक भू-खण्ड है, जो मानक माप से कमोबे"1 1.935 एकड़ यानि 0.783 हेक्टेयर है और जो ग्राम- दामुडीह, थाना- घाटशिला, थाना संख्या-1515, अंचल-पोटका, जिला- पूर्वी सिंहभूम में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

क्र०	खाता संख्या	सर्वे प्लॉट संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (ए०)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता	सीमा (भू-खण्ड संख्या)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	69	193	कायमी	दोन I	0.16	घासी राम सरदार पिता स्व०पदा सरदार	193	193	204	सीमा को म
2	84	204	कायमी	दोन III	0.22	सरस्वती भूमिजानी वो तुलसी भूमिजानी वो पार्वती भूमिजानी, पिता- स्व० राजमोहन भूमिज	204	205	206	193
3	84	205	कायमी	गोडा I	0.25	-वही-	204	237	206	193
4	84	206	कायमी	दोन II	0.08	-वही-	206	237	236	205
5	59	236	कायमी	मोटी आर	0.015	पदमावती सरदार, पति- स्व० प्रफूल्य सरदार वो सारी सरदार, पति स्व० डुबा सरदार	236	237	243	237
6	59	243	कायमी	तालाब	1.10	-वही-	243	242	टगरानी	239
7	59	242	कायमी	दोन I	0.11	-वही-	243	242	243	239

यह अधिसूचना भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के उपबन्धी के अधिन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो। भूमि की योजना/नक्सा का निरीक्षण विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-03, स्वर्णरेखा अधिनियम मानगो कैम्प- अदित्यपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकेगा। समाहर्ता उक्त सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन हेतु विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी और उसके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अन्तरण यथा क्रय विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अन्तरण नहीं करवायेगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम का धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति के द्वारा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-03, स्वर्णरेखा परियोजना मानगो कैम्प-आदित्यपुर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

ह0-
वि'ीश भू-अर्जन पदाधिकारी संख्या-03,
सुवर्ण रेखा परियोजना, मनगो,

|

कैम्प-अदित्यपुर ।

ह0-
अपर उपायुक्त
पूर्वी सिंहभूम, जम'ीदपुर